2019/00264

PORTAL

30/7/19

मुद्दा फाईल,माण्डलगढ़-9414686491

ता.पेकी स्टेज

# राजस्थान सरकार

( कायदा – 129 )

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

| किस्म मुकदमा<br>1 | नम्बर मुकदमा<br>2 | तारिख दायर<br>3 | तारिख फैसला<br>4 | फैसला क्रमांक<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| धारा 212 RTA प्रार्थना | 38/19 | 4/6/19 | 28/6/19<br>राजीनामा से D208 | |

अनवान

श्री रामसिंह मीणा ........ श्री रामप्रसाद मीणा ........

निवासी नाहरो का खेड़ा जहाजपुर ........ निवासी माधोपुरा ........

श्री विनोद कुमार शर्मा<br>अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार रेस्पाडेन्ट / मदयूनान

श्री........................ श्री........................

Scanned by CamScanner

# Form No. III
## फर्द अहकाम
( नियम 26 )

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **माण्डलगढ**

1. रामसिंह पिता भीमड़ा मीणा निवासी नाथूण तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा।

**प्रार्थीगण**

<u>बनाम</u>

1. रामप्रसाद पिता मोहन मीणा निवासी माधोपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

**अप्रार्थीगण**

किस्म मुकदमा :– 212 प्रार्थना पत्र RTA मु. नं. 38 / 2019

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 04 / 06 / 2019 | प्रार्थना पत्र बाद जांच सीगे से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई वकील प्रार्थीगण ने बहस में बताया की ग्राम माधोपुरा पटवार हल्का मांगटला के आराजी नम्बर 230 / 1, 231 / 1, 233 / 1, 236, 237, 238, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 281, 286 कुल किता 15 रकबा 28 बीघा 19 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश फरमावे ।<br>वकील प्राथी की एकपक्षीय बहस सुनी एंव पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर आया कि मामला प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी के पक्ष का बनता है। एवं अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के जवाब पेश होने तक जारी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।<br>अतः ग्राम माधोपुरा पटवार हल्का मांगटला के आराजी नम्बर 230 / 1, 231 / 1, 233 / 1, 236, 237, 238, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 281, 286 कुल किता 15 रकबा 28 बीघा 19 बिस्वा से अप्रार्थीगण प्रार्थी को बेदखल नही करे, कृषि कार्य में रोक टोक इत्यादि नही करें, रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतरिम आदेश अप्रार्थीगण के विरूद्ध उनके जवाब प्रस्तुत होने तक जारी किया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी / जवाब हेतु नियत दिनांक 30 / 07 / 2019 को पेश हो।<br>(त्रिलोक चन्द मीना)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>माण्डलगढ | |
| 28/06/19 | पत्रावली आज वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर आज पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों हाजिर होकर निवेदन किया कि हमारे आपस मे राजीनामा हो चुका है एवं वकील प्रार्थी द्वारा भी राजीनामा का प्रार्थना-पत्र एवं दोनो पक्षकारान की I.D. प्रुफ पेश किए। जिसे शामिल पत्रावली किए गए। पक्षकारान की जांच वकील प्रार्थी से करवाई गई। | रामसिंह<br>रामप्रसाद |

Scanned by CamScanner